न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, भागलपुर

उपस्थित :– राज नारायण निगम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, भागलपुर

सत्र वाद संख्या–660 / 2015

टी0आर0 नंबर–113 / 2016

नाथनगर थाना कांड संख्या–335 / 2013

आरोप गठन–376 / 511 भा0द0वि0

निर्णय की तिथि. 23.07.2026

बिहार सरकार ..... **अभियोजन**

Versus

1- मो0 चांद, पे0–शमशीर

ग्राम–नाथनगर, थाना–नाथनगर, जिला–भागलपुर

---------- **अभियुक्त**

Appearance

Counsel on behalf of the prosecution:- श्री जय किशोर यादव, अपर लोक अभियोजक

Counsel on behalf of the defence:- श्री गया प्रसाद झा, विद्वान अधिवक्ता

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त अभियुक्त मो0 चांद के विरूद्ध धारा–**376 / 511 भा0द0वि0** कारित करने का आरोप है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचिका एस0के0 लक्ष्मी नारायण लेन भागलपुर की रहने वाली है दिनांक 26.11.2013 को समय करीब 1:30 बजे रात्रि में अपने घर में सोई हुई थी कि अचानक मो0 चांद मेरे दरवाजे पर आकर जंजीर बजाने लगे आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद देखे कि मो0 चांद मुझे पकड़कर बलात्कार करने के नियत से कपड़ा खींचने लगा पीड़िता जोर–जोर से हल्ला किया तो उसके पिता ने मुहल्ला के मो0 शमशीर, मो0 अफसर अली, मो0 शमशेर, मो0 रमजान को बुलाए उपरोक्त लोगो के पुछने पर मो0 चांद ने कहा कि मै एस0के0 से शादी करूंगा। सुबह होने पर इमाम साहब के निकाह के लिए बुलाया गया निकाह होने वाला था कि मो0 चांद नहाने के बहाने से वहा से भाग गया तथा लौटकर नहीं आया।

3. पीड़िता सूचिका एस0के0 के लिखित बयान के आधार पर नाथनगर थाना कांड संख्या–335 / 2013 दिनांक–12.12.2013 को औपचारिक प्राथमिकी मो0 चांद के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए अभियुक्त मो0 चांद के

23.7.26

District and Additional Sessions Judge ★ Bhagalpur ★

विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–47/2014 दिनांक 22.03.2014 धारा **376/511 भा0द0वि0** का विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया। श्रीमान अ0 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा दिनांक 08.10.2015 को अभियुक्त मो0 चांद के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का संज्ञान लिया गया। दिनांक 08.10.2015 को विद्वान अ0 मु0 न्या0 दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा वाद दौरा सुपूर्द किया गया। ततपश्चात् प्रस्तुत वाद विचारण एवं निष्पादन के क्रम में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निष्पादन के लिये इस न्यायालय में दिनांक 21.10.2016 को स्थानांतरित किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल छः साक्षी जुम्मन अंसारी, मो0 शमशीर, मो0 जहांगीर, बीबी शहजादा एवं पीड़िता सूचिका का बयान हुआ है। अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नांकित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है :–

प्रदर्श पी–1/पीडब्लू–6– फर्दबयान पर हस्ताक्षर

5. दिनांक 09.07.2026 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया एवं दिनांक 23.07.2026 को अभियुक्तगण का धारा 313 के अंतर्गत बयान लिया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया।

6. प्रस्तुत वाद में विचारण का मुख्य विषय यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

23.7.26

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

मंतव्य

अभियोजन द्वारा कुल–06 साक्षियों का बयान कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 जुम्मन अंसारी, अभियोजन साक्षी संख्या–02 मो0 शमशीर, अभियोजन साक्षी संख्या–03 मो0 जहांगीर, अभियोजन साक्षी संख्या–04 मो0 सलीम, अभियोजन साक्षी संख्या–05 बीबी शहजादा पक्षद्रोही घोषित है जो घटना का लेश मात्र भी समर्थन नहीं की है।

8. उसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–06 पीड़िता सूचिका एस0के0 कहती है कि लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मै पहचानती हूँ जिसे प्रदर्श पी–1/पीडबलू–6 अंकित किया जाता है। घटना आठ–नौ साल पहले की है। समय याद नहीं है। झगड़ा हुआ था। दिनांक 06.11.2013 को समय करीब 01:30 बजे रात्रि में जब मै अपने घर में सोई थी तो अचानक मो0 चांद मेरे दरवाजा पर आकर जंजीर बजाने लगा। आवाज सुनकर दरवाजा खोली तो देखी की चांद मुझे पकड़ लिया और बलात्कार करने के नियत से मेरा कपड़ा खिचने लगा उसके बाद मै जोर से चिल्लाई तो मेरा भाई जग गया उसके बाद उसका नाम पुछा तो उसने अपना नाम मो0 चांद बताया। चांद ने बताया कि मुझसे शादी करेगा तब सुबह माँ को बुलाया गया निकाह होने वाला था कि मो0 चांद नहाने के बहाने से भाग गया जिसकी सूचना मैने थाना को दिया। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि आवेदन मैने

दूसरे आदमी से लिखवाया था। उसमें क्या लिखा था मुझे पढ़कर नही सुनाया था। मैने सिर्फ अपना हस्ताक्षर किया था। नहा धोकर चांद आया और मुझसे शादी कर लिया। अब हम दोनो पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे है। अब हमलोग को कोई शिकायत नही है। मुकदमा खत्म कर दिया जाए हमको कोई मतलब नहीं है। चांद मुझे बहुत पसंद था। हमदोनो एक दुसरे से प्यार करते थे इसलिए हमने उसपर मुकदमा कर दी थी।

9. उभयपक्षों का पूर्ण बहस सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध समक्ष साक्ष्य का अवलोकन किया। साक्ष्य के अवलोकन एवं विशलेषण करने के उपरांत विदित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या–01 जुम्मन अंसारी, अभियोजन साक्षी संख्या–02 मो0 शमशीर, अभियोजन साक्षी संख्या–03 मो0 जहांगीर, अभियोजन साक्षी संख्या–04 मो0 सलीम, अभियोजन साक्षी संख्या–05 बीबी शहजादा पक्षद्रोही घोषित है जो घटना का लेश मात्र भी समर्थन नहीं की है। अभियोजन साक्षी संख्या–06 पीड़िता सूचिका एस0के0 अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि घटना आठ–नौ साल पहले की है। समय याद नहीं है। झगड़ा हुआ था। दिनांक 06.11.2013 को समय करीब 01:30 बजे रात्रि में जब मै अपने घर में सोई थी तो अचानक मो0 चांद मेरे दरवाजा पर आकर जंजीर बजाने लगा। आवाज सुनकर दरवाजा खोली तो देखी की चांद मुझे पकड़ लिया और बलात्कार करने के नियत से मेरा कपड़ा खिचने लगा उसके बाद मै जोर से चिल्लाई तो मेरा भाई जग गया उसके बाद उसका नाम पुछा तो उसने अपना नाम मो0 चांद बताया। चांद ने बताया कि मुझसे शादी करेगा तब सुबह मॉ को सूचना गया निकाह होने वाला था कि मो0 चांद नहाने के बहाने से भाग गया जिसकी मैने थाना को दिया।साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि आवेदन मैने दूसरे आदमी से लिखवाया था। उसमें क्या लिखा था मुझे पढ़कर नही सुनाया था। मैने सिर्फ अपना हस्ताक्षर किया था। नहा धोकर चांद आया और मुझसे शादी कर लिया। अब हम दोनो पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे है। अब हमलोग को कोई शिकायत नही है। मुकदमा खत्म कर दिया जाए हमको कोई मतलब नहीं है। चांद मुझे बहुत पसंद था। हमदोनो एक दुसरे से प्यार करते थे इसलिए हमने उसपर मुकदमा कर दी थी।

10. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि पीड़िता सूचिका के एस0के0 के बयान में भी काफी विरोधाभाष है जिस कारण अभियोजन इस केस को साबित करने में सर्वथा असमर्थ रहा है जिसके आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि अभियोजन गवाह संदेहास्पद हो जाता है तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

11. अभियुक्त मो0 चांद के विरूद्ध धारा–**376/511 भा0द0वि0** के आरोप में साक्ष्य का अभाव एवं संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त किया** जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है।

अतः अभियुक्त के जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाने एवं सुधारने के बाद खुली न्यायालय में सुनाया गया। लेखापित एवं मेरे द्वारा शुद्धिकृत

23-7-26

राज नारायण निगम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम्,
भागलपुर
दिनांक 23.07.2026

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाने एवं सुधारने के बाद खुली न्यायालय में सुनाया गया। लेखापित एवं मेरे द्वारा शुद्धिकृत

23-7-26

राज नारायण निगम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम्,
भागलपुर
दिनांक 23.07.2026

Date of Judgment/Order	23.07.2026
Date of Reserving Judgment/Order	23.07.2026
Uploading Date	01.08.2026.
Uploaded by	Smt. Neelam Kumari D.E.O

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★